

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-09/2023-

1614

व०प०, राँची, दिनांक-

02/05/2023

प्रेषक,

जलज कुमार,

उप परामर्शी।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),

भारत सरकार,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,

झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, मुख्यालय,

हरमू चौक, राँची-834002।

विषय :- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग-NH-23 & 320B भारतमाला परियोजना (जैनामोड़-गोला-ओरमांझी खण्ड) निर्माण हेतु कुल 99.7862 हे० (बोकारो वन प्रमंडल अंतर्गत 66.5436 हे०, रामगढ़ वन प्रमंडल अंतर्गत हेतु 28.9869 हे० एवं राँची वन प्रमंडल अंतर्गत 4.2557 हे०) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-224 दिनांक-02.03.2023 एवं पत्रांक-348 दिनांक-29.03.2023 तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, धनबाद के पत्रांक-1568 दिनांक-25.03.2023 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

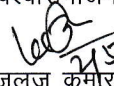
विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :-

- वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रस्तावित वनभूमि के NPV का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।
- प्रस्तावित वनभूमि के दोगुने के विरुद्ध चिन्हित 201.885 हे० वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।
- CWLW के ज्ञापांक-433 दिनांक-27.03.2023 द्वारा प्रस्तावित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।
- प्रस्ताव के पार्ट-II एवं III में क्रमशः संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारियों एवं वन संरक्षकों द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित शर्त प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होंगी।
- अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन


(जलज कुमार)
उप परामर्शी।

ज्ञापांक-वन भूमि-09/2023-

1614

व०प०, राँची, दिनांक-

02/05/2023

प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(जलज कुमार)
उप परामर्शी।

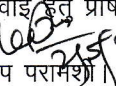
ज्ञापांक-वन भूमि-09/2023-

1614

व०प०, राँची, दिनांक-

02/05/2023

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), परियोजना कार्यान्वयन इकाई, NHAI Complex, कान्हा, पोस्ट-भितिया, थाना-गोविन्दपुर, धनबाद-828109 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(जलज कुमार)
उप परामर्शी।

PART – V

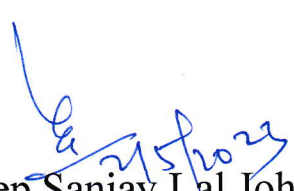
(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 99.7862 ha of Forest Land for Construction of Bharatmala Pariyojana of Jaina More to Gola (NH-23) & Gola to Ormanjhi (NH-320B) section under Ranchi, Bokaro & Ramragh Forest Division.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for Diversion of 99.7862 ha of Forest Land with conditions as stated in the forwarding letter no-1614--- dated-02/05/2023.


Rajdeep Sanjay Lal John

Additional Secretary

Forest, Environment & Climate Change Department,

Jharkhand Ranchi.

Additional Secretary

Forest Environment And

Climate Change Department

Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)

Date:

Place: Ranchi



कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड, पिन-834002 Email ID : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक:- 348.. दिनांक:- 29/3/2023

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग-NH-23 & 320B भारतमाला परियोजना
(जैनामोड़-गोला-ओरमांझी खण्ड) निर्माण हेतु कुल 99.7862 हे० (बोकारो वन
प्रमंडल अंतर्गत 66.5436 हे०, रामगढ़ वन प्रमंडल अंतर्गत हेतु 28.9869 हे० एवं
राँची वन प्रमंडल अंतर्गत 4.2557 हे०) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- इस कार्यालय का पत्रांक 224 दिनांक 02.03.2023

महाशय,

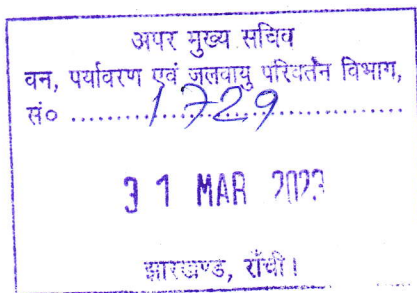
उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना
प्रस्ताव हेतु वांछित प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड,
राँची का पत्रांक 433 दिनांक 27.03.2023 द्वारा उपलब्ध कराया गया है जिसकी प्रति इस पत्र के साथ इस
कार्यालय के पत्रांक 224 दिनांक 02.03.2023 के क्रम में संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

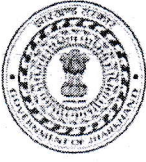
अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

K. S. N.
29.3.23





कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड।

Email: pccf-wildlife@gov.in, Phone No. 0651-2481744

24



पत्रांक:- 433

दिनांक:- 27/03/2023

सेवा में,

कैमुदीन सिया

विषय:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक -सह- कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग-NH-23 & 320B भारतमाला परियोजना (जैनामोड़-गोला-ओरमांझी खण्ड) निर्माण हेतु कुल 99.7862 हे० (बोकारो वन प्रमण्डल अन्तर्गत 66.5436 हे०, रामगढ़ वन प्रमण्डल अन्तर्गत 28.9869 हे० एवं राँची वन प्रमण्डल अन्तर्गत 4.2557 हे०) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव सं० FP/JH/ROAD/146250/2021 के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-

आपका ज्ञापांक 224 दिनांक 02.03.2023

महाशय,

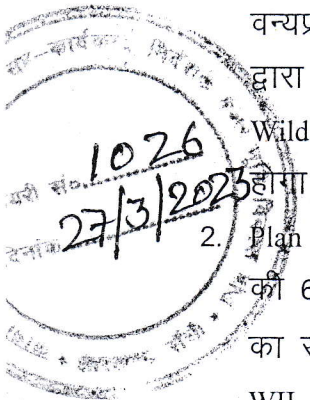
उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि इस कार्यालय का पत्रांक 325 दिनांक 10.03.2023 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची से विषयक प्रस्ताव पर वन्यप्राणी प्रबंधन योजना की आवश्यकता एवं सार्थकता के सम्बन्ध में स्पष्ट मंतव्य की माँग की गयी थी।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो का कार्यालय पत्रांक 553 दिनांक 16.03.2023 द्वारा मंतव्य इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसमें विषयक प्रस्ताव पर विस्तृत वन्यप्राणी प्रबंधन योजना निर्माण की आवश्यकता बतायी गयी है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के मंतव्य तथा वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य निम्नलिखित है:-

1. प्रस्तावित अपयोजन भूमि के इर्द-गिर्द वन्यजीवों का आवागमन होने की स्थिति में तथा वन्यप्राणी संरक्षण के दृष्टिकोण से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के परिप्रेक्ष्य में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Project Cost पर स्थानीय वन पदाधिकारियों के परामर्श एवं निदेशन में Comprehensive Wildlife Management Plan तैयार कर इसे समयवद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित होगा।

2. Plan में दिनांक 31.12.2021 को आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की स्थायी समिति की 66 वीं बैठक में संरक्षित क्षेत्रों/ वनों की भूमि के प्रबंधन के मामलों में लिए गए निर्णयों का सार (MoEF&CC F.No. 6- 141/2021WL दिनांक 1 फरवरी 2022 द्वारा परिचालित) तथा WII, Dehradun द्वारा जारी मानक एसओपी/ दिशानिर्देशों के प्रावधानों को परियोजना की स्वीकृति की अवधारणा में सम्मिलित किये जाने की अनुशंसा की जाती है।



3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना क्षेत्र के भीतर और आसपास के क्षेत्रों पर विषय वस्तु विशेषज्ञ/विशेषज्ञों के माध्यम से पारिस्थितिकी एवं वनस्पतियों और जीव जंतुओं पर परियोजना के संभावित प्रभाव का आकलन किया जाना अपेक्षित होगा। यह landscape areas में वनस्पतियों और जीवों पर डेटा के संग्रह के माध्यम से किया जा सकता है और इस हेतु वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा rare/endangered/unique species of flora and fauna को Jharkhand हेतु भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण (BSI) द्वारा दी गयी list of threatened plant species endemic to region और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) द्वारा झारखंड की जीव-जंतु, लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची को संदर्भ में रखा जाना अपेक्षित होगा ताकि प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में और उसके आसपास वैज्ञानिक डेटा का सत्यापन कर पारिस्थितिकी के संभावित कुप्रभाव की रोकथाम और शमन उपायों की निगरानी और बचाव हेतु उचित निर्णय लिया जा सके।
4. इस परिदृश्य को देखते हुए की परियोजना क्षेत्र के आसपास वन्यजीवों के आवासों के गंभीर विखंडन के कारण हाथियों की आवाजाही के क्षेत्र पहले ही प्रतिबंधित हो गए हैं और हाथियों की आबादी झारखंड में नए क्षेत्रों में फैल रही है। इसलिए संघर्ष क्षेत्र को प्रतिबंधित करने के लिए उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा भी विशेष सहयोग की आवश्यकता होगी। यह मानव-हाथी सह-अस्तित्व क्षेत्र को समर्थन और बढ़ावा देकर किया जा सकता है ताकि परियोजना क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्र में वन्यजीव शमन उपायों के माध्यम से हाथियों के साथ-साथ मानव के कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके।

विश्वासभाजन


23/3/23
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी
एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक,
झारखण्ड।
23/3/23

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

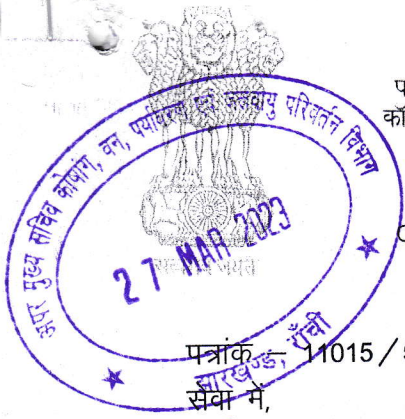
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना निदेशक का कार्यालय, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, एन.एच.ए.आई.
कॉम्प्लेक्स, कान्द्रा, पोस्ट भीतीया, थाना गोविन्दपुर, धनबाद-८२८१०६ (झारखण्ड)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Office of the Project Director, Project Implementation Unit, NHAI Complex
Kandra, P.O. Bhitia, P.S. Govindpur, Dhanbad-828109 (Jharkhand)

Ph. : 06540-283090, E-mail : dhan@nhai.org / nhaidhanbad@yahoo.in



पत्रांक - 11015/5/पीडी/डीएचएन/एच/एच-३२०/१५६८
सेवा में,

मार्च, २५ 2023

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़।

विषय: भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत एन०एच० ३२० एवं ३२०बी (जैनामोड़-गोला-ओरमांझी सेक्शन) के चौड़ीकरण/चार लेन के निर्माण में रामगढ़ जिला अन्तर्गत अपयोजित होने वाली वनभूमि रकवा २८.९८६९ हे० के प्रस्ताव के संबंध में।

- प्रसंग : १) प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह- कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, राँची का पत्रांक सं० २२४ दिनांक ०२.०३.२०२३.
२) आपका पत्रांक सं० २७४ दिनांक १४.०२.२०२३.
३) इस कार्यालय का पत्रांक सं० १३९९ दिनांक ०९.०२.२०२३.

महाशय,
कृपया प्रसंग सं० (३) का अवलोकन किया जाय जिस संबंध में अवगत कराना है कि वन भूमि अपयोजित होने वाली प्रस्ताव में रामगढ़ जिला अन्तर्गत कुल रकवा २८.९८६९ हे० में से रकवा २१.०१४४ हे० का निर्गत FRA निर्धारित प्रपत्र (FORM-I) में प्रस्ताव के साथ उपलब्ध कराया गया था, साथ ही साथ शेष भूमि रकवा ७.९७२५ हे० हेतु प्रस्ताव के साथ बचनबद्धता संलग्न करते हुए अनुरोध किया गया था की FRA प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही विभाग को समर्पित किया जाएगा।

इस संबंध में यह भी सूचित करना है कि प्रसंग सं० (१) एवं (२) से वन विभाग के द्वारा शेष रकवा ७.९७२५ हे० हेतु FRA प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु कहा गया है। अतएव, उपायुक्त महोदय, रामगढ़ द्वारा उनके Memo no. ३२० दिनांक २५.०३.२०२३ से शेष रकवा ७.९७२५ हे० के लिए निर्धारित प्रपत्र (FORM-I) में FRA निर्गत किया गया है, जिसे आपके अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है।

विश्वासभाजन

अनु०- ९ प्रति में संलग्न।

(Sudhir Kumar)
Project Director

प्रतिलिपि -

- अपर मुख्य सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची - को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह- कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, राँची - को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल बोकारो - को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो - को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1790
31/3/2023

अपर मुख्य सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, सं० १३०८ २९ MAR २०२३ झारखण्ड, राँची।
--

(Sudhir Kumar)
Project Director